न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 169/2020
3. उनवान : सरकार जरिये गोविन्दनारायण मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री कालूराम बैरवा निवासी 68/61, मानसरोवर जयपुर।
2. श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 586 जयपुर शहर।

4. निर्णय दिनांक : 10.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री जे.पी. गौड अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री गोविन्दनारायण मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 31.05.2007 को मुखबिर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नीले केरोसीन के दुरुपयोग की सूचना पर मय जांच दल श्रीराम पार्क के पास बरकत नगर, प्लाट नं. 542 के सामने पंहुचे। वक्त जांच श्रीराम पार्क की दीवार के पास एक टैम्पो नम्बर आरजे–14–जीए–9836 खडा था एवं दो ड्रम लोहे के व दो प्लास्टिक की जरीकेन में कुल 500 लीटर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीले रंग का केरोसीन भरा मिला। टैम्पो चालक अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि ये केरोसीन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गुर्जर की थडी से मेरे टैम्पों में रखवाये थे और यहां तक लाने के लिये 150 रु. किराये के दिये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त केरोसीन बाबत कोई बिल, प्राधिकार पत्र व अन्य कागजात पेश नहीं करने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 497.750 लीटर केरोसीन(सैम्पल लेने के पश्चात) मय 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक जरीकेन व एक टैम्पो नम्बर आरजे–14–जीए–9836 जब्त किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जे.पी. गौड ने उपस्थिति दी। दिनांक 09.01.2009 को अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 13.06.2007 को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 75,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 25.06.2007 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 31.05.2007 को जब्त केरोसीन बाबत कोई बिल, प्राधिकार पत्र व अन्य संबंधी दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त जब्त केरोसीन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गुर्जर की थडी से मेरे टैम्पों में रखवाये थे और यहां तक लाने के लिये 150 रु. किराये के दिये। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं इस टैम्पो में बैठकर आया था और माल दुकान नं. 579 के सामने उतरवाकर चला गया। नीला केरोसीन खुले बाजार में

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले नीले केरोसीन को अवैध क्रय एवं अधिक लाभ कमाने हेतु विक्रय कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी गाडी के अलावा किसी अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जब्त केरोसीन उसकी गाडी में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा लाकर किसी अन्य की दुकान के सामने उतरवाने की स्वीकारोक्ति से उक्त जब्त केरोसीन की कालाबाजारी किया जाना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 31.05.2007 की कार्यवाही के दौरान जब्त वितरण प्रणाली का 497.750 लीटर केरोसीन(सैम्पल लेने के पश्चात) मय 2 लोहे के ड्रम, 2 प्लास्टिक जरीकेन तथा इनके अवैध परिवहन में काम लिया गया टैम्पो नम्बर आरजे–14–जीए–9836 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर